B - II
L - 32

1917 की मांटेग्यू उद्घोषणा

- अगस्त 1917 में भारत राज्य सचिव मांटेग्यू ने यह घोषणा की कि यह ब्रिटिश सरकार की नीति (मांटेग्यू घोषणा) जिससे भारत पूरी तरह सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सहयोग लिया जाए तथा स्वशासन के कार्यों में संलग्न संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जा सके।

इसकी तीन महत्वपूर्ण बातें :-

- भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश शासन का उद्देश्य है।
- उत्तरदायी शासन का विकास क्रमिक रूप में ही सम्भव है।
- उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है जिस पर भारतीय जनता की उन्नति व समृद्धि का दायित्व है।

* इस घोषणा से खुश होकर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ स्थापित कर लिया जिसमें एनी बेसेंट, बिपिन चन्द्र पाल जैसे लोग शामिल थे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम :-

प्रावधान :-

- संवैधानिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी तथा विधान सभा में उनके प्रश्न पूछने और वोट देने के अधिकारों में वृद्धि की गयी।
- इसी अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विकास हुआ यद्यपि दस प्रतिशत भारतीय जनता को ही वोट देने का अधिकार मिला।
- इसके साथ ही विशेष साम्प्रदायिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब इसमें सिखों एंग्लो भारतीयों को शामिल कर लिया।
- केन्द्रीय विधान सभा को द्विसदनीय बनाने का निर्णय लिया गया तथा 1858 के एक्ट से भारतीय शासन की देखरेख के लिए भारत राज्य सचिव के पद का गठन किया गया था, जिसका वेतन भारतीय खजाने से ही दिया जाता था, अब वह लंदन से दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान प्रांतों में द्वैधशासन प्रणाली को लागू करना था जो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का महत्वपूर्ण कदम कहा गया किन्तु प्रांतों में विषयों के बँटवारे को इस तरीके से लागू गया कि अनिश्चितता बनी रही।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

उत्तरदायी सरकार कोई विशेष भूमिका नहीं निभा सकी, क्योंकि प्रायः सभी महत्वपूर्ण मामलों में वह गवर्नर पर निर्भर रहे।

राज्य के विषयों को आरक्षित व स्थानांतरित संवर्ग में बांट कर महत्वपूर्ण विषय आरक्षित के तहत गवर्नर के अधीन रखेगए तथा कर्तव्यों से संबंधित विषय हस्तानांतरित के तहत उत्तरदायी सरकार को सौंपा गया। जैसे- सिंचाई को आरक्षित विषय में रखकर कृषि विकास को हस्तानांतरित विषय में रखना राजनैतिक आदर्शों का अपमान था।

मांटेग्यू उद्घोषणा से उत्तरदायी सरकार को लेकर भारत में जो नई आशा जगी थी वह इस द्वैधशासन व्यवस्था के द्वारा ध्वस्त हो गयी क्योंकि प्रायः सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों हेतु उत्तरदायी सरकार को गवर्नर की सहमति पर निर्भर बना दिया गया था।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

1935 का भारत शासन अधिनियम :-

1935 का अधिनियम भारतीय शासन व्यवस्था का एक ऐसा प्रस्थान बिन्दु माना जाता है जहाँसे यह न सिर्फ प्रशासनिक निश्चितता की ओर बढ़ा, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का स्वरूप भी निर्धारित होने लगा। इस अधिनियम का महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि आजादी के बाद जब भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया तो बहुत से प्रावधान इसी एक्ट से प्रेरित थे।

यह ब्रिटिश शासन द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था क्योंकि इसमें 1919 के अधिनियम के बाद की प्राय: सभी संवैधानिक अनुशंसाओं को शामिल किया गया था :-

साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की चौदह सूत्री मांगे, गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड की साम्प्रदायिक उद्घोषणा, पुना पैक्ट तथा 1933 में प्रकाशित भावी भारत के लिए श्वेत पत्र इन सबको मिला कर यह एक्ट आया था।

प्रावधान :-

- भारत एक आखिल भारतीय संघ होगा जिसमें प्रांतो का शामिल होना अनिवार्य था किन्तु देशी रियासतों को शामिल होना वैकल्पिक या ऐच्छिक

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

रखा गया।

यह भी शर्त रखी गई कि संघ तभी प्रभाव में आएगा जब रियासतों की कुल जनसंख्या में से कम-से-कम आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली रियासतें और सीटों में से कम से कम आधी सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाली रियासतें इसमें अवश्य शामिल हो।

• 1919 के सुधारों से उत्तरदायी शासन की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई और केन्द्र में द्वैतशासन प्रणाली को अपनाया गया अर्थात् इस एक्ट से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई।

केन्द्र में रक्षा, विदेश, संचार तथा धार्मिक व जनजातीय मामलों को वायसराय के हाथों में आरक्षित कर अन्य गौण विषयों को उत्तरदायी सरकार के हाथों में सौंपा गया।

इस एक्ट में "संरक्षण व आरक्षण" की नीति पर बल देते हुए ब्रिटिश सरकार ने माना कि उत्तरदायी शासन प्रणाली के विकास-क्रम में भारतीयों से गलतियाँ हो सकती हैं तथा अल्प संख्यकों के विषय का दायित्व अंग्रेजों का ही है।

अतः गवर्नर जनरल व प्रांतो के गवर्नरों को भी विशिष्ट परिस्थितियों में उत्तरदायी शासन के कार्यों में व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

गया।

वस्तुतः यह प्रावधान भारतीय लोकतंत्र का अनादर था और इससे वास्तविक स्वशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती।

- विधानमंडलो व भारतीयों के मताधिकार का विस्तार किया गया, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया, किन्तु देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां का शासक मनोनीत करेगा न कि वहाँ की जनता उसे निर्वाचित करेगी।

- संघीय ढांचे को व्यवहार रूप देने के लिए केन्द्रीय व प्रांतीय सूची के साथ ही कुछ मिश्रित विषयों को लेकर समवर्ती सूची बनाई गई और इस तरह शक्ति का विभाजन कर दिया गया

इस तरह 1935 के एक्ट से उत्तरदायी शासन और संघीय व्यवस्था के प्रावधानों से यह प्रतीत होता है कि भारत को प्रभावी अधिकार व स्वायत्तता दे दी गई किन्तु यह केवल दिखावा मात्र था वास्तविकता तो यह थी कि भारत शासन के सन्दर्भ में अंग्रेजो की सर्वोच्चता में कोई कमी नहीं आयी क्योंकि इस एक्ट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन का अधिकार प्रांतीय या संघीय व्यवस्थापिका के पास नहीं था यह संशोधन केवल ब्रिटिश संसद

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

ही कर सकती थी अर्थात भारत के भाग्य का निर्णय अभी भी ब्रिटिश संसद के पास ही बना रहा। नेहरू ने इस एक्ट को "गुलामी या दासता" का चार्टर कहा तथा टिप्पणी की कि, "यह एक ऐसी गाड़ी की तरह था जिसमें ब्रेक ही ब्रेक थे और इंजन गायब था।

आजादी के बाद भारत

- 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली किन्तु दीर्घकालिक औपनिवेशिक शासन ने अपने हितों व स्वार्थों की पूर्ति की प्रक्रिया में न सिर्फ भारत के परम्परागत ढांचे को नष्ट कर दिया था बल्कि भविष्य में अखण्ड व सशक्त भारत के निर्माण के लिए अनेक समस्याएँ भी छोड़ गए।

- हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र बिखरे हुए थे, यहाँ तक की हम अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अक्षम थे, विभाजन की परिस्थितियों में भारत को विकास के मार्ग पर ले जाना आसान नहीं था और ऐसे में सरदार पटेल, डा-अम्बेडकर व पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व अपनी भूमिका के कारण वास्तविक नायक बन कर उभरे। वस्तुतः आजादी की लड़ाई के बाद पुनः एक नया संघर्ष करना पड़ा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

और तह था एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना जो कि आजादी की लड़ाई से कम चुनौतिपूर्ण नही था।

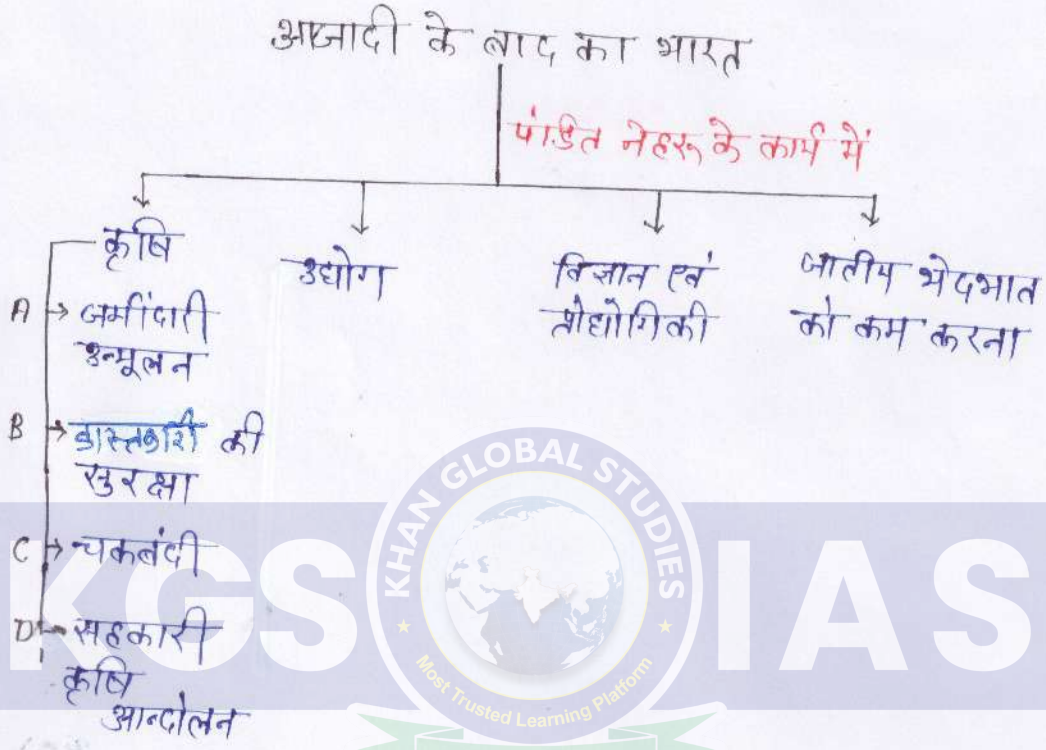

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

उद्योग → • पंडित नेहरू ने बाँधो, बंदरगाहों व भारी मशीन आधारित उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा।

• द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के आधार पर विकास के लिए भारी मशीन आधारित उद्योगों को प्रमुखता दी।

• पंडित नेहरू के अनुसार, आधुनिक अवसंरचनाओं और भारी उद्योगों से उत्पादन बढ़ेगा, जी. डी. पी बढ़ेगी, उत्पादन कार्य होगें और स्वाभाविकतः प्रति व्यक्ति आय

बढ़ेगी, (कुछ विद्वानो ने इसे ट्रिकल डाउन का सिद्धान्त कहा)

- नेहरू किताबी या आदर्शवादी समाजवादी नहीं थे, बल्कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार यथार्थवादी व व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होने ऐसा आर्थिक मॉडल चुना जिसमें पूँजीवादी व समाजवादी व्यवस्था दोनों का समन्वय हो और यही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी :-

नेहरू ने आधुनिकता को भारतीय सन्दर्भ में अपनाना अनिवार्य समझा और इसके लिए पाश्चेमी प्रेरणा के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को महत्वपूर्ण माना।

- विज्ञान और औद्योगिक विकास परिषद को प्रोत्साहन देकर भारत में वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान को बढ़ावा दिया।
- अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम तथा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जैसे भविष्यगामी क्षेत्रों की पहचान उनके दृष्टिकोण को प्रासंगिक बनाती है।
- न सिर्फ विज्ञान व तकनीक के प्रति नेहरू संवेदनशील थे बल्कि भारतीयों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास को लेकर भी उत्साहित थे और इसे उन्होंने भारत की कई समस्याओं का अचूक अस्त्र माना था।

• जातीय भेदभाव -

• नेहरू भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता को लेकर क्षुब्ध रहते थे और विशेषता जातीय भेदभाव को लेकर आक्रोशित रहते थे।

• कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों में इस समस्या को शामिल किया था किन्तु सदियों से स्थापित यह भेदभाव भारतीय समाज में गहनता से प्रवेश कर चुका था अतः आदर्शवादी व उपदेशवादी कार्यक्रमों से यह हल न हो सका।

• नेहरू आर्थिक संवृद्धि व विकास को ही इस समस्या को समाप्त करने का श्रेष्ठ उपाय मानते थे उनके अनुसार जब आर्थिक स्थिरता व सुनिश्चितता सभी को उपलब्ध हो जाएगी तो यह जातीय भेदभाव अपने आप मिट जाएगा क्योंकि नेहरू के अनुसार इस भेदभाव का मूल कारण सामंतवादी व्यवस्था से उत्पन्न आर्थिक असमानता है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES A Trusted Learning Platform KHAN SIR